राजस्थान सतर्क हैं

COVID-19
MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः सामान्य/चिकित्सा/2020/ 30640   दिनांक 25 मार्च, 2020

:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा होने से जिले में अब तक अधिग्रहित किए गए संस्थान/भवनो/होटल्स/रिसोर्टस/धमर्शालाओ में से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अब तक बनाएं गए एवं आगे बनाये जाने वाले समस्त क्वारंटाईन (संगरोध) वार्डो हेतु नोड़ल अधिकारी/कार्मिक नियुक्त करने तथा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने/उपलब्ध कराने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा को अधिकृत किया जाता हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर के पत्रांकः **IDSP/20/300** दिनांक 18/03/200 एवं 22/03/2020 तथा समय–समय पर राज्य सरकार एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6,000 बेड के क्वारंटाईन वार्ड बनाने के जारी दिशा–निर्देशो के अनुक्रम में समस्त क्वारंटाईन (संगरोध) वार्डो के सुचारू रूप से संचालन की समस्त कार्यवाही तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करायेगे। क्वारंटाईन (संगरोध) वार्डो पर निर्देशानुसार नोड़ल अधिकारी एवं अन्य कार्मिको की डयूटी अपने स्तर से लगायेगें।

क्वारंटाईन (संगरोध) वार्डो पर पर विकास अधिकारी पंचायत समिति, पंचायत प्रसार अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की गाईड लाईन के अनुसार नियुक्त किया जा सकेगा। इसमें जिला प्रशासन की अनुमति पृथक से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा यह भी सुनिश्चित करेगें कि क्वारंटाईन (संगरोध) वार्डो हेतु अतिरिक्त आवश्यकता होने की स्थिति में भवनो के अधिग्रहित करने के प्रस्ताव तत्काल भिजवाएगें। इस संबंध में जिला कार्यालय से समय–समय पर जारी आदेशो/दिशा–निर्देशो की परिपूर्ण पालना सुनिश्चित करायेगें तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा से समन्वय कर निर्देशानुसार अपेक्षित समस्त कार्यवाही तत्काल किया जाना सुनिश्चित करेगें। इस संबंध में एक प्रकोष्ठ की स्थापना करायीं जावे।

क्वारंटाईन (संगरोध) वार्डो के संबंध में संलग्न प्रपत्र में दैनिक सूचना प्रतिदिन सायं 5.00 बजे तक कमरा नम्बर 115 में भिजवाई जावे।

आदेश की अक्षरशः पालना की जावे।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त, अजमेर
5. उप महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर
4. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
5. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
6. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
8. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा
9. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा
10. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
12. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
13. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
14. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
15. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा
16. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

2/3/2020

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner